

हमारा प्रयास



आपका आवास

# स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की

मण्डोला विहार योजना गाज़ियाबाद के सेक्टर-6 में  
विभिन्न प्रकार के स्व-वित्तपोषित सेमीफिनिशड  
भवनों को प्राप्त करने का

## सुनहरा अवसर

रेरा पंजीकरण संख्या  
UPRERAPRJ623188  
website- : [www.up-rera.in](http://www.up-rera.in)

ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि  
15.08.2022 से  
15.10.2022 तक



### उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से क्रियान्वयन करते हुए, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया।


### उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) परिषद की विभिन्न योजनाओं के विक्रय हेतु आवश्यकतानुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड विकसित करना तथा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल आय वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों व दिव्यांगों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति क्रय करने के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे—विद्युत—आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था कराता है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं। परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन/प्रदेशन पंजीकृत आवेदकों के मध्य परिषद विनियमावली में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।



## परियोजना से संबंधित घोषणार्थें

- परियोजना स्थल उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित मण्डोला विहार योजना, जनपद गाजियाबाद के सेक्टर-6 हेतु विधिवत अधिग्रहित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर संचालित ।
  - परियोजना की भूमि वर्तमान में पूर्णतया विवाद रहित ।
- 

# सेमीफिनिशड भवनों की विशिष्टियां

1	ब्रिक वर्क	—	सीमेन्ट कोर्स सेण्ड मोर्टार 1:6
2	आर०सी०सी० वर्क	—	एम—20 ग्रेड कंक्रीट
3	प्लास्टर	—	(अ)— बाहरी दिवारों पर 12 एम०एम० प्लास्टर 1:4 सीमेन्ट कोर्स सैण्ड मोर्टार से, (ब)— आन्तरिक दिवारों पर 12 एम०एम० प्लास्टर 1:6 सीमेन्ट कोर्स सैण्ड मोर्टार से।
4	चौखट फ्रेम	—	एम०एस० एंगल आयरन 35X35X5Xmm (सिंगल पताम)
5	विंडो फ्रेम एवं ग्रिल	—	एम०एस० एंगल आयरन फ्रेम पर एम०एस० स्क्वायर वार ग्रिल
6	डोर शटर	—	30 एम०एम० फ्लश डोर शटर्स (केवल बाहरी चौखटों पर)

## योजना के मुख्य आकर्षण

- ▶ मण्डोला विहार योजना दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (709बी) पर स्थित है।
- ▶ अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन (आई०एस०बी०टी०) कश्मीरी गेट से 15 कि०मी० दूरी पर है।
- ▶ शिव विहार मेट्रो स्टेशन से 9 कि०मी० की दूरी पर है।
- ▶ इस्टर्न पैरिफिरेयल एक्सप्रेस वे से 8 कि०मी० की दूरी पर है।
- ▶ दिल्ली की सीमा से मात्र 4 कि०मी० की दूरी पर है।
- ▶ लोनी रेलवे स्टेशन से मात्र 8 कि०मी० की दूरी पर है।

**मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के  
सेक्टर-6 में 252 नग विभिन्न प्रकार के सेमीफिनिशड भवनों  
के अर्न्तगत अवशेष 132 नग**

**भवनों का विवरण**


**रेरा पंजीकरण संख्या-  
UPRERAPRJ623188**

- ❖ परियोजना की अनुमानित लागत - ₹0 8968.00 लाख
- ❖ परियोजना प्रारम्भ की तिथि - 01.01.2022
- ❖ परियोजना पूर्ण होने की तिथि - 31.12.2023
- ❖ परियोजना में फ्लैट/भवन आवंटन/कब्जा की प्रस्तावित तिथि - 31.12.2023


क्र० सं०	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	प्लॉट क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	कवर्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	अनुमानित मूल्य (₹ लाख में)	पंजीकरण धनराशि (₹ लाख में)		पात्रता चयन के पश्चात पंजीकरण धनराशि समायोजन उपरान्त प्रथम किस्त की अनुमानित धनराशि (₹ लाख में)		अवशेष धनराशि 04 तिमाही किस्तों में (₹ लाख में)
								सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	
1	मण्डोला विहार योजना	35/60	अल्प आय वर्ग	54	60.59	35.94	22.40	2.24	1.12	4.04	5.16	4.03
2		36/75	अल्प आय वर्ग	33	75.00	35.93	25.90	2.58	1.29	4.68	5.97	4.66
3		66/112	मध्यम आय वर्ग	28	112.50	66.80	41.10	4.10	2.05	7.40	9.45	7.40
4		95/162	मध्यम आय वर्ग	17	162.00	95.53	58.35	5.82	2.91	10.53	13.44	10.50

- नोट:**
- उक्त धनराशि के अतिरिक्त, भूमि मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क अलग से देय होगा।
  - भवन कार्नर होने की स्थिति में भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क अलग से देय होगा।
  - नियमानुसार जी०एस०टी० व अन्य कर अलग से देय होगा।

# सेक्टर-06, मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद का लोकेशन मैप




# 35-60 बिल्डिंग प्लान




**ELEVATION**




**SECTION AT A-A'**




**DOOR WINDOW SCHEDULE**



**GROUND FLOOR PLAN**




**TERRACE PLAN**



**SITE PLAN**




# 36-75 बिल्डिंग प्लान




ELEVATION


SECTION AT A-A  
 FLOOR FINISH AS/ SPECIFIED  
 SO TH. CC AS/ SPECIFIED  
 150 TH/LIME CONCRETE AS/ SPE.  
 EARTH FILLING




DOOR WINDOW SCHEDULE



GROUND FLOOR PLAN









TERRACE PLAN









SITE PLAN

# 66-112 बिल्डिंग प्लान



# 95-162 बिल्डिंग प्लान



## प्राविधान/शर्तें

- ❖ तालिका में दर्शायी गयी भवनों की संख्या संशोधित / परिवर्तित हो सकती है।
- ❖ भवन की टाइप डिजाइन व ले-आउट अपरिवर्तनीय है। अपरिहार्य कारणोंवश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू-सम्पदा विनियम और विकास अधिनियम की धारा-14 में वर्णित प्रतिबन्धों / व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- ❖ परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटी को 9.00 प्रतिशत ब्याज के अनुसार उसी आवंटी को भुगतान किया जायेगा, जो अपनी किस्तें जमा करने में कभी डिफाल्टर न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी कि उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि से परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाये।  
**“Force majeure”** की स्थिति में एवं किसान आन्दोलन की वजह से हुये विलम्ब पर यह भुगतान देय नहीं होगा। इस सम्बंध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
- ❖ न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आवंटी को उसका भुगतान करना होगा। इस संबंध में कोई दावा मान्य न होगा।
- ❖ प्रत्येक आवंटी को वाटर / सीवर कनेक्शन हेतु रू0 7000.00 अतिरिक्त देय होगा।
- ❖ आवंटन / मांग पत्र में अतिरिक्त विविध व्यय के रूप में 0.25 प्रतिशत विज्ञापन शुल्क, रू0 354.00 अनुबन्ध हेतु तथा 120.00 प्रति साईट प्लान हेतु अतिरिक्त देय होगा।
- ❖ प्रदेशन पत्र निर्गत होने के उपरान्त राज्य सरकार के कोई कर की यदि देयता होती है तो आवेदक को भुगतान करना होगा। यदि उपरोक्त के कारण या अन्य कारणों से शुल्क में वृद्धि होगी तो वह आवंटी द्वारा देय होगी।
- ❖ भवन का भौतिक कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं अनुबन्ध / विक्रय अभिलेख के निबन्धन के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- ❖ आवंटन में परिषद / शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- ❖ नगर पालिका / स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकल आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- ❖ भवनों की स्थिति के अनुरूप पी.एल.सी. (कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग / ग्रीन बेल्ट पर 5 प्रतिशत) अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी भवन की परिस्थिति में कार्नर, पार्क फेसिंग / ग्रीन बेल्ट दोनों सुविधाएं अनुमन्य हो रही हैं, तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक होगा। उक्त के अतिरिक्त भूखण्ड के कुल मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड देय होगा।

## भुगतान का तरीका

- 1.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के संबंध में विवरण, पात्रता चयन होने पर बिक्री करार के निष्पादन पश्चात ही आवंटन/मांग पत्र निर्गत होगा।
- 1.2 पात्रता चयन के सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार निष्पादित/पंजीकृत कराना होगा।
- 1.3 यदि आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, उसका पंजीकरण/आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गई धनराशि की वापसी परिषद नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये बिना ब्याज वापस की जायेगी।
- 1.4 भवन आवंटन हेतु प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रथम किश्त की धनराशि (पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुये) एवं शेष 04 किश्तें अगले प्रत्येक त्रैमास की अवधि में जमा करनी होगी। किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर 9.00 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। आवंटी द्वारा समयानुसार भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण एवं कटौती की कार्यवाही की जायेगी।
- 1.5 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से RTGS / NEFT एवं ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी।

## आवंटन नियम

- 2.1 प्राप्त आवेदकों के मध्य पात्रता चयन, सार्वजनिक लाटरी ड्रा से किया जायेगा।
- 2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा पात्रता चयन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासम्भव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में **RTGS/NEFT** के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- 2.3 लाटरी ड्रा से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाईट **www.upavp.in** पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदानुसार परीक्षणोंपरान्त उसका निराकरण सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा अन्यथा की स्थिति में लाटरी ड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 2.4 सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकृत आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।
- 2.5 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रा के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाईट **www.upavp.in** पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।
- 2.6 लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।
- 2.7 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाईट **www.upavp.in** पर यथासम्भव उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस में प्रसारित कर दी जायेगी।
- 2.8 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जा सकेगी।
- 2.9 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 2.10 सम्पत्तियों के नम्बरिंग ड्रा/पात्रता सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा।
- 2.11 शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे इस सम्बंध में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 2.12 आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन के कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी। लाटरी ड्रा सर्वप्रथम एक मुश्त भुगतान वाले आवेदकों के मध्य किया जायेगा। इसके पश्चात् यदि भवन अवशेष रहते हैं तो किस्तों के विकल्प वाले आवेदकों के मध्य लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन किया जायेगा।

## पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3.3 बहुमंजिले फ्लैट के आवेदकों के लिये सम्पत्ति सीमा/आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।
- 3.4 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय भवन/भूखण्ड के आवंटन हेतु पात्र होगा।
- 3.5 आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहां आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।
- 3.6 स्ववित्त पोषित भवनो तथा भूखण्डों में आय सीमा प्रतिबन्धित नहीं है।

## आनलाईन पंजीकरण के नियम

- ◆ आन—लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For plots / Houses/ flats at mandola ghaziabad" पर क्लिक करना होगा।
- ◆ इसके पश्चात खुलने वाले वेब—पेज के लिंक "semi finished Houses at mandola ghaziabad" पर क्लिक करना होगा।
- ◆ आवेदक द्वारा संबंधित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारियाँ भली—भाँति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- ◆ अनुबंध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही परिषद विनियमावली की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के RTGS/NEFT के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी।
- ◆ आवंटन पत्र में निर्धारित तिथि के अन्दर वांछित धनराशि/औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर परिषद विनियम के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- ◆ आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
- ◆ पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय कर आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि तक पूर्ण वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित, जमा करना होगा।
- ◆ पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति—पत्नी के लिए संयुक्त रूप से पंजीकरण अनुमन्य है।
- ◆ यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है, तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- ◆ आवासीय सम्पत्ति हेतु चयनित आवेदक/आवंटी द्वारा मांग पत्र/आवंटन पत्र (जो भी पहले हो) के जारी होने की तिथि से 03 माह के अन्दर सम्पत्ति निरस्तीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, तो पंजीकरण धनराशि का 20.00 प्रतिशत तथा तीन माह के बाद आवेदन करने पर 50.00 प्रतिशत कटौती करते हुये शेष धनराशि NEFT/RTGS द्वारा आवेदक को वापस कर दी जायेगी तथा सम्पत्ति आगामी आवंटन में लगा दी जायेगी। इस शर्तों का उल्लेख आवंटन पत्र में भी किया जायेगा।
- ◆ उत्तर प्रदेश भू—सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।
- ◆ अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही परिषद विनियमावली की शर्तों के अधीन होगी।
- ◆ प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त से योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।
- ◆ विकास कार्य एवं भौतिक कब्जे में विलम्ब की स्थिति में भू—सम्पदा विनियम एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अधीन कार्यवाही/क्षतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

## आरक्षण

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ०प्र० सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियां ही पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदनपत्र के साथ जिलाधिकारी / अपरजिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	—तदैव—
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	—तदैव—
4	मा० विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराये।
6	उ०प्र० आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र मूल रूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
7	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
8	वरिष्ठनागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र / सेवानिवृत्तिप्रमाण-पत्र / पेंशन पेपर का प्रमाण-पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

**नोट:** उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।



## श्रेणी

- 5.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण को कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 5.2 उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

## असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 6.1 भवनो में लाटरी ड्रा के पश्चात असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि यथासंभव एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

## भवन का भौतिक कब्जा

- 7.1 लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादित/पंजीकृत कराना होगा।
- 7.2 भवनो का भौतिक कब्जा दिनांक 31.12.2023 तक हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है।
- 7.3 आवेदक द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान पंजीयन/सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबंधन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 7.4 प्रदेशन पत्र में अंकित दिनांक तक वांछित औपचारिकतायें विलम्ब से पूर्ण करने पर विलम्ब शुल्क तथा कब्जा पत्र जारी होने के बाद निर्धारित तिथि तक भौतिक कब्जा न लेने पर विलम्ब अवधि हेतु, रखरखाव शुल्क नियमानुसार प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त देय होगा।
- 7.5 कब्जा प्राप्त करने की तिथि से नियमानुसार जल शुल्क/यूजर चार्ज आवंटी द्वारा देय होगा।
- 7.6 बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादन के पश्चात ही आवंटन पत्र /मांग पत्र निर्गत होगा।
- 7.7 परिषद द्वारा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट निर्गत करने की तिथि से दो माह के अन्दर भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को अनुबन्ध में उल्लिखित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क रू0 75 प्रतिदिन की दर से देय होगा।

## तथ्यों को छिपाना

- 8.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

## अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 9.1 विषयगत योजना आवासीय है। अतएव भवन का प्रयोग केवल आवासीय हेतु ही किया जायेगा। शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर विक्रय-विलेख एवं आवंटन/पंजीकरण निरस्तीकरण के साथ ही साथ विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 9.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों अथवा आवेदक द्वारा नियुक्त नामिनी के पक्ष में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा आवेदन उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।
- 9.3 इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए, सम्बन्धित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।
- 9.4 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 9.5 किसी भी सम-सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा।

## आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

- 1- आवेदन पत्र अंग्रेजी में भर सकते हैं।
- 2- आवेदन पत्र में नाम अंग्रेजी भाषा में अनिवार्य रूप से भरा जाये।
- 3- अंग्रेजी में सूचनायें भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरे। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4- आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें। जैसे: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- 5- आवेदक को पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र में अंकित स्थान पर लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र एवं आधा भाग फोटो ग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की आरे से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटो ग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
- 6- एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7- नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान/ब्लाक छोड़ा जाये।
- 8- आवेदन पत्र में अंकित लिंग (SEX) कालम में पुरुष हेतु M महिला हेतु F भरे।  
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु HW भरे।
- 9- सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण को भरना होगा।
- 10- आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करे। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित की श्रेणी में माना जायेगा। आरक्षित आवेदक को आरक्षण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

## आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04
<b>हारिजेन्टल आरक्षण कोड</b>	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
विस्थापित	w
<b>शहर</b>	<b>कोड</b>
गाजियाबाद	045
<b>लिंग</b>	<b>कोड</b>
स्त्री	F
पुरुष	M
अन्य	T
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी)	HW
<b>भुगतान का तरीका</b>	
किश्त	01
एकमुश्त	02
<b>सम्पत्ति का प्रकार</b>	आवासीय भवन

**नोट:-** आरक्षण वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

## ऑनलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

क्रमांक	बैंक का नाम एवं पता	सम्बंधित अधिकारी	दूरभाष नं0
1	एच0डी0एफ0सी0 बैंक 4/5 ओम प्लाजा सेक्टर-15सी वसुन्धरा, गाजियाबाद	श्री आयुष पाण्डेय	9999234987

## मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ—जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :-

### आवेदक का परिवार :

इसमें स्वयं आवेदक / इच्छुक क्रेता, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

### आय :

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

### भवन :

भवन का तात्पर्य आवासीय भूमि के भवन से है।

### सम्पत्ति :

सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित आवासीय भवन से है।

### चरण (पंजीकरण का खुलना) :

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण सख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

### पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

### सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ०प्र० राज्य की सेवा तथा इनके अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकाय में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हों, से है।

### सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

### अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति :-

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

### नेत्रहीन तथा दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / दिव्यांग व्यक्ति से है।

### परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी न्यूनतम दो वर्ष सेवा पूरी हो।

### परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

### विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य:-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

### विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य-

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

## विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

**इं० डी०वी० सिंह**

अधीक्षण अभियन्ता

बागपत

मो० नं०: 8795810036

**इं० राजीव कुमार**

अधीक्षण अभियन्ता

मेरठ जोन, मेरठ

मो० नं०: 8588877002

**इं० फराज असलम**

अधिशायी अभियन्ता

नि०खं० बागपत-01

मो० नं०: 8795811694

**इं० अतुल कुमार सिंह**

अधिशायी अभियन्ता

नि०खं० बागपत-02

मो० नं०: 9711206126

**इं० सत्येन्द्र सिंह**

अधिशायी अभियन्ता

नि०खं० बागपत-03

मो० नं०: 8826836312

**श्री केशव राम**

सहायक आवास

आयुक्त गाजियाबाद

मो० नं०: 7705003066

# नामांकन-सहमति पत्र

आवेदक का एकल फोटो  
अथवा संयुक्त रूप से पति  
पत्नी आवेदक का  
स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट  
साईज फोटो (हस्ताक्षर इस  
प्रकार किया जाये कि आधा  
फोटो के ऊपर व आधा  
फार्म पर हो।

## नामांकन / Nomination

मैं ..... यह  
घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती .....  
..... जो रिश्ते में मेरे/मेरी .....  
..... है को मैं पंजीकरण के नामांकन हेतु नामित  
करता/करती हूँ।

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान .....

पूर्ण पता .....

.....

### सम्पर्क सूत्र:-

परिषद ई-मेल : info@upavp.com

वेबसाईट : www.upavp.in

टोल फ्री नम्बर : 1800-180-5333

जन सुविधा केन्द्र दूरभाष नं० : 0522-2236803

**रु0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित समक्ष**

**उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद**

## **शपथ-पत्र**

**समक्ष:- आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद**

मैं श्री/श्रीमती/कु0.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....उम्र..... निवासी.....

.....शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि:-

- 1- मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों शर्तों दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रकिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
- 2- मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों के उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
- 3- जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त परिषद को दूँगा/दूँगी।
- 4- मैं.....यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती.....जो रिश्ते में मेरे/मेरी.....है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता/करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामन्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमती ..... जो मेरे/मेरी.....है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।
- 5- मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी, यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 6- मैं आवंटन की समस्त शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर लें।
- 7- मैं एतद्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 6 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद का दिया है तो मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने, जो उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

### **घोषणा**

मैं एतद्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 7 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

## भवनों के आनलाइन पंजीकरण हेतु

### आवश्यक दिशा-निर्देश

- ◆ पंजीकरण आवेदन शुल्क रू0 1000 / – (रूपये एक हजार) जी0एस0टी0 सहित आनलाइन जमा करना होगा।
- ◆ आनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Plot/Houses/flats पर क्लिक करना होगा।
- ◆ इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
- ◆ आवेदक द्वारा सम्बन्धित योजना की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर Apply Online लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- ◆ तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से सम्बन्धित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, पैन नम्बर, निवास-पता, आदि विवरण ऑनलाइन अपलोड / फीड किये जायेंगे।
- ◆ उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Submit बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- ◆ (Submit) करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Confirm करने की दशा में उसके अपने ऑनलाइन पंजीकरण से सम्बन्धित विवरण, यूजर आई0डी0 / पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- ◆ उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक Submit पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) बटन का प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

### पंजीकरण धनराशि का भुगतान

- \* उपरोक्तानुसार आन-लाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट-आउट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-
- ❖ Visit website [www.upavp.in](http://www.upavp.in) & click on link "Online Registration of House/Plots"
- ❖ Click on concerning scheme's webpage link.
- ❖ Click 'Apply online' link & provide basic details and property.
- ❖ Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
- ❖ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking/Debit/Credit Card**.
- ❖ If applicant selected 'e-challan' payment mode, then 'e-challan' will be generated.
- ❖ Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest HDFC Branch.
- \* उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।



# परिषद में ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधा केन्द्र की स्थापना की है, जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें  
**1800-180-5333** (टोल फ्री) दूरभाष **0522-2236803**  
या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करें।

यह सेवा प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से  
सांय 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700 : 2018



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail : [info@upavp.com](mailto:info@upavp.com)

